न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर
पीठसीन अधिकारी :—अपूर्वा परवाल आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :— 20/17 दिनांक 10/11/20
प्रार्थी :—

1. श्रीमती विमला उर्फ सावित्री पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमसिंह, जाति माली, निवासी— जुनी बागर महामंदिर, जोधपुर। हाल निवास मायली मण्डावता, मण्डोर जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. खींवराज पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल, जाति माली, निवासी— जुनी बागर, महामंदिर, जोधपुर।,
2. गिरधारी पुत्र श्री खीवराज जी जाति माली, निवासी— परिहार नगर, भदवासिया फाटक के अन्दर, जोधपुर।
3. भंवरीदेवी पत्नी श्री नरवीरसिंह, जाति कच्छवाह माली निवासी— नागौरी बेरा, मण्डोर, जोधपुर।
4. भीकाराम उर्फ अर्जुनसिंह पुत्र स्व. चुन्नीलालं जीं जाति माली निवासी— महामंदिर जूनी बागर, जोधपुर।
5. रामकंवरी पत्नी श्री मानसिंह, जाति माली निवासी— मानसागर महामंदिर, जोधपुर।
6. तहसीलदार जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: आदेश :—

दिनांक 10/11/20

उपस्थिति :—श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता।

प्रार्थींया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पति स्वर्गीय श्री प्रेमसिंह के दादा स्वर्गीय चुन्नीलाल जी की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा संख्या 171 रकबा 8 बीघा, 8 बिस्वा, खसरा संख्या 172 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 173 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम जाजीवाल ब्राहमणा पटवार हल्का जाजीवाल खिच्चियान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है एवं खसरा संख्या 83 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम बोरावास, पटवार हल्का सुरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के स्व. पति प्रेमसिंह की पुश्तैनी कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि होने से प्रार्थीया के पति स्व. प्रेमसिह का उसमे जन्म से ही यानि बाई बर्थ कानूनी हक अधिकार है। प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र प्रेमसिंह के साथ हिन्दु रीति रिवाजो के अनुसार दिनांक 23.4.2000 को विवाह शहर जोधपुर में सम्पन्न हुआ इस प्रकार प्रार्थीया प्रेमसिंह की पत्नी है एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रवधु है। स्व. प्रेमसिंह का दिनांक 22.5.2010 को स्वर्गवास हो जाने पर प्रार्थीया स्व. प्रेमसिंह की पत्नी होने से प्रार्थीया को अपने पति के समस्त कानूनी हक अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीया अपने पति के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त कृषि भूमि की संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

अतः प्रार्थीया की प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दौराने सुनवाई मूलवाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 पारित फरमाई जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को पाबन्द

किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 171 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 172 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 173 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम जाजीवाल ब्राहमणा पटवार हल्का जाजीवाल खिचियान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर एवं खसरा संख्या 83 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम बोरावास, पटवार हल्का सुरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में प्रार्थीया के उपयोग में कोई बाधा अड़चन पैदा न करें, प्रार्थीया को बेदखल नही करें तथा बंटवाड़ा किये बगैर उपरोक्त कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य के जरिये करवावें। अन्य आदेश जो बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण हो पारित फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्राथीगण को जरिये नोटिस तामिल शुदा पेश हुए। अप्रार्थीगण को उपस्थिति हेतु कई बार अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण बाद तामिल भी उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गयी।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मूलवाद, राजस्व अभिलेख जमाबंदी व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व प्रार्थीया वकील की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व मूलवाद में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2044-2047, जमाबंदी सम्वत् 2031-2034, जमाबन्दी सम्वत् 2027-2030 के अवलोकन से स्पष्ठ है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के पति के दादा स्व. चुन्नीलाल की कृषि भूमि थी जिससे प्रार्थीया के पति का उक्त कृषि भूमि में पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि होने से जन्म से कानूनी अधिकार है। प्रस्तुत दस्तावेजो से यह भी स्पष्ठ है कि प्रार्थीया स्व. प्रेमसिंह की पत्नी है व अप्रार्थी संख्या 1 खींवराज पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल की पुत्रवधु है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास दिनांक 22.05.2010 को हुआ जिसके पश्चात् प्रार्थीया को अपने पति के हिस्से की भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त होते है। प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2060-2063 ग्राम जाजीवाल ब्राहम्णा, पटवार हल्का जाजीवाल खीचियान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर के अनुसार खसरा संख्या 171 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 172 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 173 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा में अप्रोर्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा बनता है व खसरा संख्या 83 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बनता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से से 1/3 हिस्सा निहीत होगा। इस अनुसार प्रार्थीया का खसरा संख्या 171 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 172 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 173 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जाजीवाल, पटवार हल्का जाजीवाल खीचियान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में 1/12 हिस्सा व खसरा संख्या 83 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा ग्राम बोरावास, पटवार हल्का सुरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में 1/9 हिस्सा बनता है। प्रार्थीया वकील द्वारा नवीनतम जमाबन्दी प्रस्तुत कर यह भी साबित किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त वर्णित खसरों से बेचान किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अगर प्रार्थी के हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूलवाद के निर्णय तक ग्राम जाजीवाल ब्राहमणा पटवार हल्का जाजीवाल खिचियान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर में खसरा संख्या 171 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 172 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 173 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा में से 1/12 हिस्से व ग्राम बोरावास, पटवार हल्का सुरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 83 रकबा 14 बीघा

4 बिस्वा के 1/9 हिस्से तक प्रार्थीया द्वारा उपयोग उपभोग में कोई बाधा अड़चन पैदा ना करे व प्रार्थीया के हिस्से तक की भूमि का बेचान हस्तानन्तरण ना तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

(अपूर्वा परवाल) R.A.S
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 10/11/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपूर्वा परवाल) R.A.S
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर